

केन्द्रीय मुहर विभाग- III

हमारा संदर्भ- केन्द्रीय मुहर विभाग-3/16: IS 14561

08 03 2018

विषय- आई एस IS 14561 :2014 के संशोधन नंबर 3 का अनुपालन

1. आई एस IS 14561: 2014 के संशोधन नंबर 3 प्रकाशित किया गया है। इस संशोधन को लागू करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया गया है।
2. इस संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
3. सभी शाखा कार्यालय, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे सूचित करें।

(अमित कुमार)
वैज्ञानिक 'सी' (सी एम डी-III)

प्रमुख (सी एम डी-III)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

आई टी एस विभाग – बीआईएस इंटरनेट पर अपलोड करने हेतू

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-III

Our Ref: CMD-3/16: IS 14561

08 03 2018

Subject: Implementation of Amendment No. 03 to IS 14561: 2014 – Fire resisting (Insulating) Filing Cabinets – Specification (Second Revision).

1. Amendment No. 03 to IS 14561: 2014 has been published. It has been decided to implement the amendment with immediate effect.
2. For implementation of this amendment no change is required in the existing STI.
3. All BOs shall inform the Licensees under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Amit Kumar)
Sc. 'C' (CMD-III)

Head (CMD-III)

Circulated to all RO/BO

Copy to: ITS for hosting on BIS Intranet.